जिला योजना

संख्याः 851 /I/2004-6(1)/59/04

प्रेषक,

डॉ0 एम0सी0 जोशी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ / पौड़ी / टिहरी /
चमोली / रुद्रप्रयाग / हरिद्वार।

ऊर्जा विभाग, देहरादूनः दिनांकः 27, दिसम्बर, 2004

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2004–05 में उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 को ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यो हेतु मूलधन पर ब्याज एवं विलम्ब में भुगतान पर देय ब्याज की स्वीकृति।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 740/I/2004-6(1)/59/04 दिनांक 17.12.2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरिउल्लिखित शासनादेश के प्रस्तर–11 में मूलधन पर ब्याज की दरें एवं समय से अदायगी न करने के विषय में अलग से सूचित किये जाने की व्यवस्था के क्रम में वित्तीय वर्ष 2004–05 में उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 को ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यो हेतु जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण रु0 366.88 लाख की अदायगी एवं समय से अदायगी न होने पर देय ब्याज का प्रतिशत निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:–

"गत वित्तीय वर्ष में यू0पी0सी0एल0 को नाबार्ड द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु ऋण पर 6.5 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जा रहा है। अतः उचित होगा कि स्वीकृत ऋण रु0 366.88 लाख पर, जो विगत वर्ष के अनुरुप ब्याज की दर 6.5 प्रतिशत ही निर्धारित करते हुये तथा विलम्ब की दशा में 1.0 प्रतिशत अतिरिक्त विलम्ब शुल्क लिया जायेगा। मूलधन की वापसी 10 वार्षिक किश्तों में माह अप्रैल, 2006 से प्रारम्भ की जायेगी।"

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 2127 / वि0अनु0–3 / 2004, दिनांक 21 दिसम्बर, 2004 से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

संख्याः 851 /I/2004-6(1)/59/04, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून ।
2– निजी प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री को मा0 मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु ।
3– अपर निजी सचिव, ऊर्जा राज्य मंत्री, को मा0 राज्य मंत्री के संज्ञान में लाने हेतु।
4– कोषाधिकारी, पिथौरागढ / पौडी / टिहरी / चमोली / रुद्रप्रयाग / हरिद्वार।
5– अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0, देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन ।
7– नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन ।
8– प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तरांचल।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव